

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय लखनऊ

दिशा निर्देश (User Instructions)

विज्ञापन संख्या-1/2020

दिनांक-07/12/2020

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में रिक्त पदों, जिनका विवरण प्रस्तर-6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों से सम्बन्धित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर-11 में दिया गया है।

- 1- ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि-08/12/2020
- 2- परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि-07/01/2021
- 3- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की अंतिम तिथि-07/01/2021
- 4- ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार (submit) किये जाने की अंतिम तिथि-07/01/2021

महत्वपूर्ण सूचना-

1. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।
2. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है।
3. प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है।
4. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा।
5. फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है।

विशेष सूचना -

1. बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।
4. ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर तथा मान्य ई-मेल आई.डी. अंकित करना होगा, उसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर पर सभी सूचनायें/निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जायेंगे तथा यथावश्यकता ई-मेल, अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जायेंगे।
6. भर्ती से सम्बन्धित निर्देश एवं आवेदन-पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.uplegisassembly.gov.in एवं www.uplegisassemblyrecruitment.in पर दिनांक-08/12/2020 से उपलब्ध होंगे।

7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य किसी प्रकार/माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. वेबसाइट पर क्लिक करने पर विज्ञापन सम्बन्धी सूचना, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं आवेदन-पत्र स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगे, जिसके निम्नलिखित तीन भाग हैं:-


- 1- विज्ञापन (advertisement)
- 2- अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions)
- 3- आवेदन-पत्र भरा जाना (apply)

2. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions) में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। View advertisement क्लिक पर विज्ञापन प्रदर्शित होगा, तदोपरान्त apply पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का कार्य तीन स्तरों पर सम्पन्न होगा:-

प्रथम स्तर (Step-1):-

सर्वप्रथम वेबसाइट www.uplegisassembly.gov.in एवं www.uplegisassemblyrecruitment.in ओपेन करेंगे। तदुपरान्त Step-1 पर Apply Online Registration पंजीकरण के बटन को Click करेंगे। परीक्षा के सापेक्ष पंजीकरण अथवा Registration Form प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात् submit button पर क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयीं सूचनाओं को भली-भांति जांच लें, जिससे प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। अभ्यर्थी उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति भी प्राप्त कर लें।

इसके उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर यूजर आई डी एवं उसका पासवर्ड अभ्यर्थी को प्राप्त होगा। जिसको अभ्यर्थी सुरक्षित रूप से रखें।


Uttar Pradesh
Legislative Assembly

APPLICANTS, WHO PAID EXAM FEE BUT DID NOT SUBMITTED FINAL APPLICATION FORM, HAS LAST CHANCE TO SUBMIT IT BEFORE 7th OF JANUARY 2021.

उत्तरप्रदेश विधानसभा सचिवालय में समूह छ एवं समूह ग के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
 (Online applications are invited for the recruitment of vacant posts under Group B and Group C in Uttar Pradesh Legislative Assembly Secretariat.)

1. विज्ञापन (View Advertisement)

5. आवेदन पत्र का स्टेटस (Application Status)

2. दिशा निर्देश (User Instruction)

6. आवेदन पत्र का रीप्रिंट (Re-Print Application)

3. STEP-1 फासई ऑनलाइन पंजीकरण हेतु (Apply Online for Registration)

7. पंजीकरण नंबर जानें (Know Your Registration Number)

4. STEP-2 परीक्षा शुल्क भुगतान (Exam Fee Payment)

8. संपर्क करें (Contact Us)

Step 3 - Final Submission After Registration & Payment. Use Registration Number as user id & Password received on email & mobile


Enter User Id


Enter Password

Forgot Password?

Submit

Latest Updates & News


विज्ञापन संख्या 01/2021


Activate Windows

Pre-Registration Form

Home

* - Star marked fields are essential to be filled by the candidate.

1. आर्जित पद (Post Applied For) *	-Select Post-
2. नाम (Name) *	First Name * Middle Name Last Name
3. वर्ग (Main Category - Caste) *	-Select Category-
4. क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईकम्प्यूस) का प्रमाण पत्र है? (Do you possess Economically Weaker Section (EWS) certificate) *	No
5. आयु में छूट का दावा (Claim in Age Relaxation) *	None
6. अधिवास (Domicile) *	-State Domicile-
7. जन्म तिथि (Date of Birth) (DD-MM-YYYY)	dd-mm-yyyy <small>Note: Please enter your date of birth as mentioned in High School Certificate</small>
8. मोबाइल नंबर (Mobile No.) *	
9. ईमेल आईडी (Email ID) *	

1C0B63

Enter the above code here

Can't read the image? [Click here](#) to refresh

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Declaration

मैं इनका घोषणा करता हूँ / करती हूँ की -

उपरोक्त जानकारी सच है / सही है।

Need Help

20100104 /

Home

Your Application No. :20100104(UN - PAID)

Post Applied For :संपादक

Name

User ID

20100104

Date of Birth

22-09-1988

Category

General

EWS

No

Claim in Age Relaxation

None

Domicile

Uttar Pradesh

Handicapped

No

Mobile Number

Email ID

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

Activate Windows



Go to Settings to activate Windows.

द्वितीय स्तर-

परीक्षा शुल्क भुगतान से पूर्व आपको दिये गये User id (यूजर आई डी) से लॉग-इन(login) करने के उपरान्त डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को पेमेंट करने का लिंक दिया होगा। उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, नेटबैंकिंग/यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/रुपे कार्ड, द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है।

The screenshot shows the Uttar Pradesh Legislative Assembly website. The header includes the logo and text "Uttar Pradesh Legislative Assembly". Below the header, there is a blue bar with the text "(Application Form) 20100104" and a "Logout" button. The main content area contains a link "Examination Fee - 950/= (Un Paid) - Click here to Pay Now". Below this link, there are two buttons: "FEI Candidate Application Form" and "View Candidate Form". At the bottom of the page, there is a copyright notice "© Copyright 2020. All Rights Reserved" and an "Activate Windows" watermark.

The screenshot shows the HDFC Bank payment page. The header includes the "HDFC BANK" logo and "SmartHub" logo. The main heading is "Pay through with HDFC Bank". On the left, there is a "Billing Information" section with the following details: Amount: Rs. 950.00, Order No: 939df89f8f83ccb..., Merchant: HDFC Test 522, and Website: www.hdfcbank.com. On the right, there is a "PAY WITH" dropdown menu and a "Total Amount" of Rs. 950.00. At the bottom right, there is an "Activate Windows" watermark.



अभ्यर्थी द्वारा किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान रसीद की प्रति एवं बैंक ट्रांजेक्शन आई डी अपने पास सुरक्षित रखें।

तृतीय स्तर-

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात **Candidate Application Form** पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा। उक्त प्रपत्र में ऑनलाइन सूचनायें भरनी होगी तथा फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। यदि फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में नहीं होंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाये कि अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम आवक्ष होनी चाहिये। फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1** में दी गयी है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी **Save button** पर क्लिक करे इसके उपरान्त अभ्यर्थी को **Preview Page** प्रदर्शित होगा जिससे अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं की पुष्टि कर लें तथा पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु **Final Submit Button** को क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा **final submit button** को क्लिक नहीं किया जायेगा तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की कठिनाई एवं विसंगति होने की स्थिति में उक्त प्रिन्ट की मांग की जा सकती है अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन शुल्क-

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जायेगा। ऑन-लाईन पेमेंट (Online Payment) के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नवत् परीक्षा शुल्क देना होगा।

क्र. स.	श्रेणी	परीक्षा शुल्क (रूपये में) (ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित) (प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक रूप से)
1	सामान्य/अनारक्षित	950.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	950.00
3	अनुसूचित जाति	850.00
4	अनुसूचित जनजाति	850.00
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	950.00
6	दिव्यांगजन	कोई परीक्षा शुल्क नहीं। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रूपये 50.00 देय होगा।
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	क्रमांक 1-5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8	महिला	-तदैव-
9	भूतपूर्व सैनिक	-तदैव-

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित (debar) किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है, के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में

किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. प्रस्तुत (submit) किये गये आवेदन में संशोधन—

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, द्वितीय आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे/कर दिये जायेंगे।

अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (1) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किये जाने, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, पर अथवा किसी अन्य कदाचार पर विधान सभा द्वारा प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से पांच वर्ष तक के लिये प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, निवास प्रमाण-पत्र, लिंग, जन्मतिथि, नाम एवं पता से सम्बन्धित जो दावा किया जायेगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के उपरान्त इस सम्बन्ध में परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना अनुमन्य नहीं होगी।
- (3) गलत एवं भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में त्रुटिसुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) अपूर्ण आवेदन-पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जन्मतिथि हेतु कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (6) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर, विधान सभा सचिवालय द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर, दिव्यांग की उप श्रेणी के अंतर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- (7) ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।
- (8) परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
- (9) अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

- (10) जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (11) आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने, अधिवस्यक या अल्पवस्यक होने, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने, निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने तथा आवेदन-पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (12) आवेदन-पत्र की सरसरी जांच करने उपरान्त यदि विधान सभा सचिवालय चाहे तो अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकता है किन्तु किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन-पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह चयन हेतु संस्तुत कर दिया गया है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (13) कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता करने, दुर्व्यवहार करने, तथा अन्य अवाञ्छनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (14) इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (15) इस परीक्षा के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में परीक्षा क नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम एवं अनुक्रमांक (यदि आवंटित कर दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।
- (16) नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को यथा-नियम स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा उनका चरित्र सत्यापन भी कराया जायेगा।

अन्य अनुदेश:-

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 15 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किये जायेंगे।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक सम्बन्धित अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि के उपरान्त प्राप्त की जाने वाली अर्हता की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (3) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को भरने में **केवल काले बाल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करें। पेन्सिल अथवा किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।
- (4) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की सभी प्रविष्टियां ठीक प्रकार से एवं सही-सही भरें। प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- (5) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में भरी गयीं सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से ठीक न किया जाये और न ही मिटाया जाये।
- (6) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक दो प्रतियों में होगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक की मूल प्रति अंतरीक्षक को सौंप दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।
- (7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 35 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 35 प्रतिशत से कम अंक

प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 40 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

- (8) सिविल अपील संख्या -8300/2016 संजय सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं सम्बद्ध अन्य सिविल अपीलों में मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2020 में पारित निर्णय में अवधारित सिद्धांत के अनुपालन में इस सचिवालय में तदर्थ/संविदा के रूप में कार्यरत् समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी को चयन में वेटेज (weightage) प्रदान किया जायेगा।

सामान्य अनुदेश :-

- (1) अंतिम नियत तिथि/समय के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (2) अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- (3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में सबमिट बटन को क्लिक करना अनिवार्य है।
- (4) विधान सभा सचिवालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जा रहा है, इसलिये अभ्यर्थियों को विज्ञापन का भली-भांति एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त संतुष्ट होने पर ही कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह/पात्र हैं, आवेदन करना चाहिये।
- (5) पद के लिये वांछित सभी अर्हतायें, प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।
- (6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित ही) आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-453/79-बी-1-15-1 (क) 14-2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- (7) किसी कदाचार, महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश कराने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित किये जाने का अधिकार विधान सभा सचिवालय को होगा।
- (8) यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष संख्या: **+919205310332**, ई-मेल: **contact@uplegisassemblyrecruitment.in** अथवा वेबसाइट **www.uplegisassemblyrecruitment.in** पर Contact us से सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई/समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
- (9) फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दृष्टव्य है।



परिशिष्ट-1


The procedure relating to upload Photo and Signature:-

Guidelines for scanning photograph with signature.

- 1- Paste the Photo on any white paper as the above required dimensions. Sign in the Signature space provided. Ensure that the Signature is within the box.
- 2- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- 3- The image (of size 3.5cm by 4.5 cm) consisting of the photo as required to be scanned and stored in jpg, jpeg, gif, png format on computer.
- 4- The image of Signature (of size 2.5 cm X 1.5 cm) should be 10-30KB.
- 5- Ensure that the size of the scanned image should be between 20-50KB.
- 6- If the size of the file is more than 50KB then adjust the settings of the scanner such as DPI resolution, etc during the process of scanning.
- 7- The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full, initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- 8- The signature will be used to put on the HALL TICKET and wherever necessary, if the applicant's signature on answer script at the examination, does not match the signature on the HALL TICKET, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-




(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।